न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0खान
आई.ए.एस.

अपील संख्या 31/2021
फूलसिंह आयु 63 वर्ष पुत्र स्व0 हीराराम, जाति जाट, निवासी खीदरसर उर्फ पुरा की ढाणी, तहसील व जिला झुंझुनू (राज0)।

–– अपीलान्ट

बनाम

1. बिहारीलाल आयु करीब 65 वर्ष पुत्र स्व0 लादुराम, जाति जाट, निवासी खीदरसर उर्फ पुरा की ढाणी, तहसील व जिला झुंझुनूं।
2. राजस्थान सरकार भूमि अधिकारी जरिये तहसीलदार झुझुनू तहसील व जिला झुंझुनूं।

–– रेस्पोडेन्ट

प्रथम अपील अ0धा0 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रथम अपील खिलाफ निर्णय बअदालत तहसीलदार झुंझुनूं मुकदमा उनवानी बिहारीलाल बनाम फुलसिंह, प्रार्थना पत्र अ0धा0 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, मु0 नं0 50/2020 आदेश दिनांक 30/03/2021

उपस्थितः–
1. श्री विजयपाल, एडवोकेट– अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री संदीप काजला, एडवोकेट– रेस्पोडेन्ट सं0 1 की ओर से।
3. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक– रेस्पोडेन्ट सं0 2 की ओर

आदेश

दिनांक 04.10.2021

पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक अपील तहसीलदार झुंझुनूं के निर्णय दिनांक 30.03.2021 के विरूद्व पेश की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 पर बहस सुनी गई। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। अपील अपीलान्ट के अनुसार रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने अपीलान्ट के विरूद्ध अदालत मातहत के यहां जमीन हाल ख0न0 258 रकबा 0.12 है0 राजकीय गैर मुमकिन रास्ता सरहद मौजा खीदरसर से अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। रेस्पोडेन्ट सं0 1 के उक्त आवेदन पत्र पर अदालत मातहत ने प्रकरण संख्या 63/2017 उनवानी बिहारीलाल बनाम फुलसिंह दर्ज किया और दिनांक 15.10.2018 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के प्रार्थना पत्र को इस फाईडिंग के साथ खारिज किया कि जमीन ख0न0 258 रकबा 1.12 है0 किस्म गैर मुमकिन रास्ते पर कोई अतिक्रमण नही है। अदालत मातहत के उक्त निर्णय के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अदालत मातहत हाजा के यहां अपील संख्या 92/2019 उनवानी बिहारीलाल बनाम फूलसिंह वगैरह प्रस्तुत की गई। उक्त अपील के अदालत हाजा ने दिनांक 04.11.2020 के निर्णय पारित किया और रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की अपील को स्वीकार कर अदालत मातहत के निर्णय दिनांक 15.10.2018 को अपास्त किया तथा प्रकरण को इस निर्देश के साथ आदालत मातहत को प्रति प्रेषित किया कि '' अदालत मातहत विवादित भूमि ख0नं0 258 गैर मुमकिन रास्ता वाके ग्राम खीदरसर की मौके व नक्शा/रिकार्ड के अनुसार पुनः जांच करते हुए अपीलान्ट को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान कर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अदालत हाजा के उक्त निर्णय की पालना में अदालत मातहत ने उक्त प्रकरण को पुनः मुकदमा संख्या 50/2020 उनवानी बिहारीलाल बनाम फूलसिंह दर्ज किया और उसके बाद दिनांक 30.03.2021 को निर्णय पारित कर यह आदेश किया कि 'राजस्व रिकार्ड नक्शासीट में डोटेड लाईन से दर्शाये गये रास्ते से राजस्व रिकार्ड में दर्ज चौड़ाई के अनुसार अवरोध हटाने के आदेश दिये जाते है। '' अदालत मातहत के उक्त निर्णय दिनांक 30.03.2021 के विरूद्ध अपीलान्ट की ओर से यह अपील नीचे लिखे अनुसार पेश है कि अदालत मातहत

निर्णय जैर बहस खिलाफ कानून न्याय व पत्रावली है। निर्णय जैर बहस स्पीकिंग नही है। के बहस के आधार स्पष्ट नही है। अपीलान्ट के विरूद्ध दफा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधान लागू नही होते। अपीलान्ट अतिक्रमी नहीं है। अदालत मातहत ने धारा 91 भू–राजस्व 366 के प्रावधानो के मुताबिक कार्यवाही नही की है। तथाकथित अतिक्रमण की लम्बाई चौडाई की गई है। भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 26.03.2021 में स्पष्ट रूप से तथाकथित की लम्बाई चौडाई दर्ज नही की है। भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट में रास्ते की लम्बाई का उल्लेख नही है। तथाकथित रास्ता मौके पर कितनी चौडाई का है और राजस्व रिकार्ड में चौडाई का है दर्ज नही किया है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय जैर बहस अपूर्ण है। अदालत मातहत ने अपने निर्णय में यह दर्ज किया है कि " प्रार्थी द्वारा प्रार्थन पत्र प्रस्तुत का प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर भू–अभिलेख निरीक्षक झुंझुनूं के जांच करने हेतु तहरीर जारी की गई । तथाकथित तहरीर के क्रम में कोई जांच होकर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत होना अदालत मातहत की पत्रावली पर नही है। भू–अभिलेख निरीक्षक की एकपक्षीय जांच रिपोर्ट दिनांक 26.03.2021 मौखिक आदेश के क्रम में तैयार होना प्रकट होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि तथाकथित मौका रिपोर्ट अपूर्ण, अस्पष्ट एकपक्षीय तथा विरोधापभाषी है। निर्णय जैर बहस में उल्लेखित तहरीर के आधार पर प्रस्तुत तथाकथित रिपोर्ट अदालत मातहत की पत्रावली पर नही है। इससे यह साबित है कि अदालत मातहत ने पद का दुरूपयोग कर मनमर्जी से निर्णय जैर बहस पारित किया है। अदालत मातहत ने अदालत हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.11.2020 में दी गई फाईन्डिगस एवं निर्देशो की पालना नही की है। अदालत मातहत अदालत हाजा के निर्णय दिनांक 04.11.2020 में दी गई फाईडिंग व निर्देशो की पालना करने के लिए बाध्य थी और अदालत मातहत ने ऐसा नही कर अदालत हाजा की अवमानना की है। अदालत हाजा ने निर्णय दिनांक 04.11.2020 में यह फाईडिंग दी थी कि मौके पर रास्ता कितना चौडा व मुताबिक रिकार्ड रास्ता कितना चौडा है और यह फाईडिग दी थी कि विस्तृत परीक्षण आवश्यक है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रेषित किया था कि अदालत मातहत पुनः जांच करते हुए निर्णय पारित करे। अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी ने प्रकरण का विस्तृत परीक्षण नही किया तथा न ही मौके व नक्शा/रिकार्ड के अनुसार स्वयं ने कोई जांच की है। कानून से अदालत मातहत को मौका, रिकार्ड/नक्शा की स्वयं को विस्तृत जांच/परीक्षण करना चाहिए था। इस प्रकार अदालत मातहत ने अदालत हाजा द्वारा दिये गये निर्देशो की पालना किये बिना तथ्य व विधि की भूल की है। पत्रावली पर कहीं भी यह स्पष्ट नही है कि राजस्व रिकार्ड में रास्ते की चौडाई कितनी है और मौके पर रास्ते की चौडाई कितनी है तथा तथाकथित अवरोध की चौडाई व लम्बाई कितनी है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि निर्णय जैर बहस अपूर्ण व अस्पष्ट है और खारिज होने योग्य है। अदालत मातहत ने निर्णय जैर बहस का आधार भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 26.03.2021 को माना है। निर्णय जैर बहस में अदालत मातहत ने भू–अभिलेख निरीक्षक झुंझुनूं द्वारा तथाकथित रिपोर्ट दिनांक 26.03.2021 को पेश होना दर्ज किया है जबकि पत्रावली पर तथाकथित रिपोर्ट दिनांक 30.03.2021 को शामिल होना प्रकट होता है। पत्रावली पर मौजूद रिपोर्ट दिनांकित 26.03.2021 पर अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी का पृष्ठाकंन दिनांक 30.03.2021 है। इस प्रकार जिस तहरीरी रिपोर्ट दिनांकित 26.03.2021 का आधार मानकर निर्णय पारित हुआ है व रिपोर्ट अदालत मातहत की पत्रावली पर नही है। अदालत मातहत की पत्रावली पर जो रिपोर्ट मौजूद है। उस पर दिनांक 30.03.2021 को अदालत मातहत की पत्रावली में शामिल रहने का पृष्ठाकंन है। उक्त तमाम तथ्यो से यह साबित है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को फायदा पहुंचाने की नियत से निर्णय जैर बहस पारित किया गया है। अदालत मातहत की पत्रावली पर मौजूद भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट पत्रावली में दिनांक 30.03.2021 को शामिल होना प्रकट होता है और उसी दिन अदालत हाजा ने निर्णय पारित किया है जो इस तथ्य को दर्शाता है कि उक्त तथाकथित मौका रिपोर्ट पर ऐतराज प्रस्तुत करने का अवसर अदालत मातहत ने अपीलान्ट को नही दिया। तथाकथित रिपोर्ट एकपक्षीय है। मौका रिपोर्ट तैयार करने से पहले अपीलान्ट को सूचित नही किया गया। तथाकथित मौका रिपोर्ट में कोई नाम अंकित किया गया हो ऐसा तथ्य दर्ज नही है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की सहखातेदारी का खेत ख0नं0 276 मौके पर एवं नक्शा में कितना है तथा अपीलान्ट के खेत ख0नं0 257 का क्षेत्रफल मौके पर एवं नक्शा में कितना है तथा राजकीय गैर मु0 रास्ता ख0नं0 258 का क्षेत्रफल मौके पर एवं नक्शा में कितना है निर्णय जैर बहस में दर्ज नही है तथा ना इस बाबत रिपोर्ट में कोई उल्लेख है। अदालत हाजा ने विस्तृत परीक्षण के निर्देश दिये थे। ऐसी सूरत में अदालत मातहत को अपीलान्ट के कब्जे काश्त व खातेदारी के खेत ख0नं0 259, 275, 257 तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के सहखातेदारी के ख0नं0 276 व राजकीय गैर मु0 रास्ता खं0नं0 258 को मौके पर नाम कर लम्बाई चौडाई का स्पष्ट उल्लेख कर पक्षकारान की मौजूदगी में नपती कर निर्णय पारित करना चाहिए था जो नही कर

विधि की भूल की गई है। अदालत मातहत ने ख0नं0 258 की मौके की स्थिति व राजस्व नक्शा की स्थिति को भी निर्णय में स्पष्ट नही किया। इन तमाम तथ्यो से यह साबित है कि निर्णय अपूर्ण व अस्पष्ट है। अदालत मातहत ने तथाकथित अतिक्रमण/अवरोध के संबंध में अपीलान्ट ... के मुताबिक कोई नोटिस नही दिया है। अदालत मातहत ने पत्रावली पर मौजूद अपीलान्ट के नोटिस का निर्णय जैर बहस में डिसकस नही किया। अदालत मातहत के यहां अपीलान्ट ने यह ... की थी कि उसका कोई अतिक्रमण नही है। उक्त तथ्य की ताईद पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 28.07.2017 से होती है। मौके पर अपीलान्ट ने कोई अतिक्रमण किया हो अथवा रास्ते में कोई अवरोध कारित किया हो इस बाबत भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 26.03.2021 में भी उल्लेख नही है। तथाकथित रास्ता रेस्पोडेन्ट बिहारीलाल के काम में आ रहा हो ऐसा कोई तथ्य रिकार्ड पर नही है। रेस्पोडेन्ट बिहारीलाल के पास सुलभ रास्ता मौजूद है। राजकीय गैर मुमकिन रास्ता खं0नं0 258 पर ग्राम पंचायत द्वारा पुख्ता ग्रेवल सडक का निर्माण अदालत मातहत के यहा उपरोक्त कार्यवाही चालू होने के ... से करवाया गया। ग्राम पंचायत देरवाला के मुताबिक स्थानीय विधायक विकास योजना के तहत माह ... 2016 से माह मार्च 2017 की अवधि में मौके पर पुराने समय से चालू स्थान पर जमीन ख0नं0 258 गैर मुमकिन रास्ता की भूमि पर सडक का निर्माण हुआ है जो वर्तमान में अस्तित्व में है और उक्त ग्रेवल सडक का निर्माण तत्कालीन ग्राम पंचायत ने राजस्व एजेन्सी ने जांच करवाकर ही करवाया है। निर्णय जैर बहस व भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट में तथाकथित राजकीय रास्ता डोटेड लाईन से होना दर्शाया गया है व राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (सर्वे, रिकार्ड एवं सेटलमेन्ट) (गर्वमेन्ट) रूल्स 1957 के नियम 17 के मुताबिक डोटेड लाईन से दर्शित रास्ते सीजनल व अस्थाई होते है। उक्त नियम को नजर अन्दाज कर निर्णय जैर बहस पारित किया है। अदालत मातहत ने निर्णय जैर बहस में अवरोध हटाने के संबंध में जो ... दिये है इस संबंध में वस्तुस्थिति रिकार्ड पर नही है। अपीलान्ट के खेत मे मौजूद ख0नं0 258 राजकीय रास्ता चालू हालत में है। रंजिशवश रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कार्यवाही कर निर्णय पारित करवाया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के प्रार्थना पत्र कार्यवाही करने का क्षेत्राधिकार अदालत हाजा को नही रहा है। मौके पर चालू मौजूदा रास्ता जिस पर ग्रेवल सडक बनी हुई है जो राज्य सरकार के बजट से बनी है। रास्ता चालू अवस्था में होना बताया गया है। इस बाबत और राजस्व रिकार्ड में मौजूद रिपोर्ट के संबंध में यह स्थिति साफ तौर से स्पष्ट नही की गई। इस प्रकार निर्णय जैर बहस अस्पष्ट व अपूर्ण है। अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर नही दिया गया है। अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत पेश करने का तथा मौका रिपोर्ट पर ऐतराज प्रस्तुत करने का अवसर नही दिया गया है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट मंजूर फरमाई जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.03.2021 को अपास्त किया जावे। अपीलान्ट विकल्प में यह निवेदन भी करता है कि अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.03.2021 को अपास्त किया जाकर प्रकरण को इन निर्देशो के साथ अदालत मातहत को प्रतिप्रेषित किया जावे की अदालत मातहत अपीलान्ट के खेत ख0नं0 259, 275, 257 व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के खेत ख0नं0 276 व गै0मु0 रास्ता ख0नं0 258 का मौके पर नाप कर तथा ग्राम पंचायत द्वारा विधायक कोष से निर्मित्त ग्रेवल सडक की जांच कर रास्ते की वर्तमान व नक्शासीट के अनुसार भौतिक जांच कर तथा खं0 नं0 276 व 257 के मध्य की सीमा को कायम कर पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करे।

बहस वकील अपीलान्ट सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट् ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया किअपीलान्ट के विरूद्ध दफा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू नही होते। अपीलान्ट अतिकमी नहीं है। अदालत मातहत ने धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानो के मुताबिक कार्यवाही नही की है। तथाकथित अतिक्रमण की लम्बाई चौडाई दर्ज नही की गई है। भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 26.03.2021 में स्पष्ट रूप से तथाकथित अतिक्रमण की लम्बाई चौडाई दर्ज नही की है। अदालत मातहत ने अपने निर्णय में यह दर्ज किया है कि " प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर भू–अभिलेख निरीक्षक झुंझुनूं के जांच करने हेतु तहरीर जारी की गई। उपरोक्त तथाकथित तहरीर के कम में कोई जांच होकर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत होना अदालत मातहत की पत्रावली पर नही है। भू–अभिलेख निरीक्षक की एकपक्षीय जांच रिपोर्ट दिनांक 26.03.2021 मौखिक आदेश के कम में तैयार होना प्रकट होता है। अदालत मातहत ने अदालत हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.11.2020 में दी गई फाईन्डिगस एवं निर्देशो की पालना नही की है। अदालत मातहत अदालत हाजा के निर्णय दिनांक 04.11.2020 में दी गई फाईडिंग व निर्देशो की पालना करने के लिए बाध्य थी और अदालत मातहत ने ऐसा नही कर अदालत हाजा की अवमानना की है। अदालत हाजा ने निर्णय दिनांक 04.11.2020 में यह फाईडिंग दी थी कि मौके पर रास्ता कितना चौडा व

रिकार्ड रास्ता कितना चौडा है और यह फाईडिग दी थी कि विस्तृत परीक्षण आवश्यक है तथा इन निर्देश के साथ प्रेषित किया था कि अदालत मातहत पुनः जांच करते हुए निर्णय पारित करे। मातहत के पीठासीन अधिकारी ने प्रकरण का विस्तृत परीक्षण नही किया तथा न ही मौके व रिकार्ड के अनुसार स्वयं ने कोई जांच की है। अदालत मातहत ने निर्णय जैर बहस का आधार निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 26.03.2021 को माना है। निर्णय जैर बहस में अदालत मातहत ने निरीक्षक झुंझुनूं द्वारा तथाकथित रिपोर्ट दिनांक 26.03.2021 को पेश होना दर्ज किया है। पत्रावली पर तथाकथित रिपोर्ट दिनांक 30.03.2021 को शामिल होना प्रकट होता है। पत्रावली पर रिपोर्ट दिनांकित 26.03.2021 पर अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी का पृष्ठाकंन दिनांक है। इस प्रकार जिस तहरीरी रिपोर्ट दिनांकित 26.03.2021 का आधार मानकर निर्णय पारित वह रिपोर्ट अदालत मातहत की पत्रावली पर नही है। अदालत मातहत की पत्रावली पर जो रिपोर्ट है उस पर दिनांक 30.03.2021 को अदालत मातहत की पत्रावली में शामिल रहने का पृष्ठाकंन है। तथ्यो से यह साबित है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को फायदा पहुंचाने की नियत से निर्णय जैर बहस पारित किया गया है। अदालत मातहत की पत्रावली पर मौजूद भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट पत्रावली में दिनांक 30.03.2021 को शामिल होना प्रकट होता है और उसी दिन अदालत हाजा ने निर्णय पारित किया है जो इस तथ्य को दर्शाता है कि उक्त तथाकथित मौका रिपोर्ट पर एतराज प्रस्तुत करने का अवसर अदालत मातहत ने अपीलान्ट को नही दिया। तथाकथित रिपोर्ट एकपक्षीय है। तथाकथित मौका रिपोर्ट में कोई नाम अंकित किया गया हो ऐसा तथ्य दर्ज नही है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की सहखातेदारी का ख0नं0 276 मौके पर एवं नक्शा में कितना है तथा अपीलान्ट के खेत ख0नं0 257 का क्षेत्रफल मौके पर एवं नक्शा में कितना है तथा राजकीय गैर मु0 रास्ता ख0नं0 258 का क्षेत्रफल मौके पर एवं नक्शा में कितना है निर्णय जैर बहस में दर्ज नही है तथा ना इस बाबत रिपोर्ट में कोई उल्लेख है। अदालत हाजा ने विस्तृत परीक्षण के निर्देश दिये थे। ऐसी सूरत में अदालत मातहत को अपीलान्ट के कब्जे काश्त व खातेदारी के खेत ख0नं0 259, 275, 257 तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के सहखातेदारी के ख0नं0 276 व राजकीय गैर मु0 रास्ता खं0नं0 258 को मौके पर नाम कर लम्बाई चौडाई का स्पष्ट उल्लेख कर पक्षकारान की मौजूदगी में नपती कर निर्णय पारित करना चाहिए था। अदालत मातहत ने ख0नं0 258 की मौके की स्थिति व राजस्व रिकार्ड/नक्शा की स्थिति को भी निर्णय में स्पष्ट नही किया। इन तमाम तथ्यो से यह साबित है कि निर्णय जैर बहस अपूर्ण व अस्पष्ट है। अदालत मातहत ने तथाकथित अतिक्रमण/अवरोध के संबंध में अपीलान्ट को धारा 91 के मुताबिक कोई नोटिस नही दिया है। अदालत मातहत ने पत्रावली पर मौजूद अपीलान्ट के जबाब नोटिस का निर्णय जैर बहस में डिसकस नही किया। अदालत मातहत के यहा अपीलान्ट ने यह जबाबदेही की थी कि उसका कोई अतिक्रमण नही है। उक्त तथ्य की ताईद पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 28.07.2017 से होती है। मौके पर अपीलान्ट ने कोई अतिक्रमण किया हो अथवा रास्ते में कोई अवरोध कारित किया हो इस बाबत भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 26.03.2021 में भी उल्लेख नही है। तथाकथित रास्ता रेस्पोडेन्ट बिहारीलाल के काम में आ रहा हो ऐसा कोई तथ्य रिकार्ड पर नही है। रेस्पोडेन्ट बिहारीलाल के पास सुलभ रास्ता मौजूद है। राजकीय गैर मुमकिन रास्ता खं0नं0 258 पर ग्राम पंचायत द्वारा पुख्ता ग्रेवल सडक का निर्माण अदालत मातहत के यहा उपरोक्त कार्यवाही चालू होने से पहले से करवाया गया। ग्राम पंचायत देरवाला के मुताबिक स्थानीय विधायक विकास योजना के तहत माह दिसम्बर 2016 से माह मार्च 2017 की अवधि में मौके पर पुराने समय से चालू स्थान पर जमीन ख0नं0 258 गैर मुमकिन रास्ता की भूमि पर सडक का निर्माण हुआ है जो वर्तमान में अस्तित्व में है और उक्त ग्रेवल सडक का निर्माण तत्कालीन ग्राम पंचायत ने राजस्व एजेन्सी ने जांच करवाकर ही करवाया है। निर्णय जैर बहस व भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट में तथाकथित राजकीय रास्ता डोटेड लाईन से होना दर्शाया गया है। राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (सर्वे, रिकार्ड एवं सेटलमेंन्ट) (गर्वमेन्ट) रूल्स 1957 के नियम के मुताबिक डोटेड लाईन से दर्शित रास्ते सीजनल व अस्थाई होते है। अदालत मातहत ने निर्णय जैर बहस में अवरोध हटाने के संबंध में जो आदेश दिये है इस संबंध में वस्तुस्थिति रिकार्ड पर नही है। अपीलान्ट के खेत मे मौजूद ख0नं0 258 राजकीय रास्ता चालू हालत में है। रंजिशवश रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कार्यवाही कर निर्णय पारित करवाया है। मौके पर चालू मौजूदा रास्ता जिस पर ग्रेवल सडक बनी हुई है जो राज्य सरकार के बजट से बनी है। रास्ता चालू अवस्था में होना बताया गया है। इस बाबत और राजस्व रिकार्ड में मौजूद रिपोर्ट के संबंध में यह स्थिति साफ तौर से स्पष्ट नही की गई। अतः अपील अपीलान्ट मंजूर फरमाई जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.03.2021 को अपास्त किया जावे। अपीलान्ट विकल्प में यह निवेदन भी करता है कि अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.03.2021 को अपास्त किया जाकर प्रकरण को इन निर्देशो के साथ अदालत मातहत को प्रतिप्रेषित किया जावे की

मातहत अपीलान्ट के खेत ख0नं0 259, 275, 257 व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के खेत ख0नं0 276 व रास्ता ख0नं0 258 का मौके पर नाप कर तथा ग्राम पंचायत द्वारा विधायक कोष से निर्मित्त ग्रेवल की जांच कर रास्ते की वर्तमान व नक्शासीट के अनुसार भौतिक जांच कर तथा खं0 नं0 276 व की सीमा को कायम कर पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करे।

वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने वकील अपीलान्ट के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया खीदरसर स्थित भूमि ख0न0 258 रास्ते की भूमि है। अपीलान्ट रास्ते की भूमि ख0न90 258 पर नही कर सकता है। रिपोर्ट दिनांक 10.6.2018 को अपील मे चेलेंज नही किया गया है। को रास्ते की भूमि की खातेदारी नही मिल सकती है और न ही अपीलान्ट रास्ते की भूमि पर कर सकता है। अदालत मातहत द्वारा ख0न0 258 वाके ग्राम खीदरसर मे आदेशों की पालना मे अपीलान्ट का अतिक्रमण हटाया है। अपीलान्ट की अपील सारहीन है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज जावे।

राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने वकील अपीलान्ट के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया खीदरसर स्थित भूमि ख0न0 258 रकबा 0.12 है0 राजकीय गैर मुमकिन रास्ता सरकारी भूमि है पर अपीलान्ट को कब्जा करने का कोई हक नही है। अदालत मातहत द्वारा विधिसम्मत निर्णय पारित है। अतः अपीलान्ट की यह अपील खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया, बहस वकील पक्षकरान पर बगौर मनन किया तथा पत्रावली पर दस्तावेजो का भी अवलोकन किया। प्रकरण में वाके ग्राम खीदरसर स्थित भूमि खसरा नम्बर 258 गैर मुमकीन रास्ता पर अपीलान्ट को अतिक्रमी माना है। प्रकरण में अहम तथ्य निम्न प्रकार है यथा

1. अदालत मातहत द्वारा ग्राम खीदरसर स्थित भूमि खसरा नम्बर 258 गैर मुमकीन रास्ता पर खसरा नम्बर 259, 275, व 257 के खातेदार अपीलान्ट फुलसिंह द्वारा की गई तारबन्दी को अतिक्रमण मानते हुये दिनांक 20.07.2021 को जे.सी.बी. के मदद से मौके पर छडिड्यां हटवाकर तथा तारबन्दी को खुलवा दिया गया है। रिपोर्ट गिरदावर व पटवारी हल्का दिनांक 26.03.2021 के अनुसार ग्राम खीदरसर स्थित भूमि खसरा नम्बर 258 किस्म गैर मुमकीन रास्ता के विवादित स्थल, जिस पर खसरा नम्बर 259, 275 व 276 की सीमा एक दुसरे से टच होती है। खसरा नम्बर 258 रकबा 0.12 हैक्टर गैर मुमकीन रास्ते राजकीय भूमि दर्ज रिकार्ड है, जो नक्शा शीट में डोटेड लाईन से दर्शाया गया है। खसरा नम्बर 258 जो खसरा नम्बर 276 के उतरी पश्चिमी कोने को टच होता है जहां पर अपीलान्ट द्वारा तारबन्दी की हुई है। अदालत मातहत द्वारा गैर मुमकीन रास्ते की भूमि से अतिक्रमण हटाया गया है।
2. अपीलान्ट का तर्क यह रहा है कि प्रकरण में न्यायालय हाजा ने आदेश दिनांक 04.11.2020 में विवादित रास्ता मौके पर कितना चौडा व मुताबिक रिकार्ड रास्ता कितना चौडा है का विस्तृत परीक्षण आवश्यक मानते हुये अदालत मातहत को आदेशित किया था कि खसरा नम्बर 258 गैर मुमकीन रास्ता की मौके व नक्शा/रिकार्ड के अनुसार पुनः जांच करते हुये तथा अपीलान्ट को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान कर विधि सम्मत् निर्णय पारित करें। अदालत मातहत ने न्यायालय हाजा द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना नहीं की तथा रास्ते की लम्बाई चौड़ाई का भी अंकन नहीं किया है। अपीलान्ट की खातेदारी भूमि में ग्रेवल सड़क का निर्माण किया गया है। ग्रेवल सड़क के निर्माण से अपीलान्ट की भूमि के अलग – अलग हिस्से हो गये है। अदालत मातहत ने आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट की भूमि का सीमाज्ञान नहीं किया और न ही उक्त ग्रेवल सड़क के निर्माण से अपीलान्ट को हुई हकतलफी पर भी गौर नहीं किया है।
3. प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा गैर मुमकीन रास्ते की भूमि से अतिक्रमण हो हटाने की कार्यवाही की है, जो सही है। परन्तु अपीलान्ट के तर्क भी यहां सही है कि उक्त ग्रेवल सड़क के निर्माण से अपीलान्ट के हकूक प्रभावित हुये है।
4. अतः अदालत मातहत के आदेश को यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अदालत मातहत को निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट की भूमि पर निर्मित उक्त ग्रेवल सड़क की बाबत निम्न बिन्दुओं की जांच करे :–

1. ग्रेवल सड़क का निर्माण किस द्वारा करवाया गया है।

2. ग्रेवल सड़क का माप व सीमा का निधारण करवाया गया था या नहीं?
3. ग्रेवल सड़क निर्माण करने से पूर्व खातेदार से अनुमति ली गई थी या नहीं ?
4. यदि बिना अनुमति के ग्रेवल सड़क का निर्माण किया गया है तो संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करें तथा प्रकरण में अपीलान्ट व संबंधित विभाग को पक्षकार बनाकर अपीलान्ट की खातेदारी भूमि में निर्मित ग्रेवल सड़क की बाबत सुनवाई कर विधि सम्मत् निर्णय पारित करें।

अपील स्वीकार होने की स्थिति में स्थगन प्रार्थना पत्र की बाबत अलग से आदेश पारित किये जाने की आवश्यकता नहीं है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तरतीब तकमील दाखिल दफत्र हों।

आदेश आज दिनांक 04.10.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

(उमर दीन खान)
जिला कलक्टर,
झुंझुनू 04/10/21